9-PBB363/2022-CHA 1/138398/2025



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय





दिनांक: as per e-sign

मिसिल संख्या -: 9-PBB363/2022-CHA

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन), प्जाब सरकार, लघु सचिवालय,

सेक्टर-९, चण्डीगढँ । विषयः-

Diversion of 0.0041 ha of forest land for approach road to Guru Nanak Dev Nursing College at Village Qila Kavi Santokh Singh on Tarn Taran-Chabhal road Km. 3-4 L/s, District Tarn under forest division Amritsar, Punjab. (Online FP/PB/Approach/149545/2021)-regarding.

संदर्भ:- (i) State Government letter online proposal received on dated 12.10.2022.

(ii)State Government Stage-I compliance letter: FOREST-FCA0FC5A/5/2022-FCA dated:06.10.2025.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है | इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **02.06.2023 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) व नोडल अधिकारी के पत्र क्रमांक- FÖREST-FCA0FC5A/5/2022-FCA dated:06.10.2025(**ऑनलाइन पोर्टल**) द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.0041 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।:-

- वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी | i.
- काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी ii. और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- प्रतिपूर्ति पौधारोपण राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार LBC Rd 133-134 L/side, village iii. Kohali & Bhitte Wadh, Tehsil Ajnala and District Amritsar, Punjab में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धनराशि से किया जायेगा । अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारीपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा ।
- राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तानान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति iv. पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
- DFO यह सुनिश्चित करेंगे कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अनुमोदित CA site को नहीं बदला जाएगा । v.
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य कैम्पा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य कैम्पा के तहत निधियां अनुमोदित vi. सीए योजना के अनुसार DFO को जारी की जाएंगी।
- वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा। vii.
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की viii. राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एंजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई 🛮 राशि जमा कराँना सुनिश्चित करेंगे।
- स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी ix. अन्य एजेंसी, विभागया व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |
- केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा | х.
- хi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम १९८६, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी। xii.
- कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा। xiii.

9-PBB363/2022-CHA I/138398/2025

xiv. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमित प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमित भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी | इस अनुमोदन के तहत diversion की अविध प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अविध या परियोजना की अविध, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी |

- xv. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जा सकती है |
- xvi. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
- xvii. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Consolidated Guidelines & Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, MoEF&CC में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।
- xviii. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी |
- xix. यह स्वीकृति CWP(C) NO. 1164/2023, dated:3.2.2025 एवं 4.3.2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के संबंध में अंतिम परिणाम के अधीन है।
- 2. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्ध कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है |

Digitally signed by Raja Ram Singh Date: 16-10-2025 16:57:58 भवदीय -sd-(राजा राम सिंह) उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय) RO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

- 1. वन महानिरीक्षक (ROHQ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली ।
- 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फोरेस्ट कॉम्पलैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब| (<u>pccfpunjab</u> @gmail.com)
- 3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फोरेस्ट कॉम्पलैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब| (<u>cffcpanchkula@gmail.com</u>)
- 4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CAMPA, फारेस्ट कॉम्प्लेक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब (ceo.puncampa@gmail.com)
- 5. The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Amritsar. (dfoamritsar@rediffmail.com).
- 6. Guru Nanak Dev Nursing College, Village Qila Kavi Santokh Singh, Chabhal-Tarn Taran Road Tehsil And District Tarn Taran(sanghagurman@gmail.com).